राजस्थान सरकार

आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, योजना भवन, जयपुर।

क्रमांकः–एफ.2 / डीईएस / लेखा(बजट) / 2015–16 / दिनांक

बजट परिपत्र

विषयः– वर्ष 2016–17 के लिए आय–व्ययक अनुमान तथा वर्ष 2015–16 के लिए संशोधित अनुमान प्रेषण के क्रम में।

समस्त सम्बन्धित अधिकारी निर्देशित किये जाते हैं कि प्रतिवर्ष की भाँति वर्ष 2016–17 के लिए आय–व्ययक अनुमान एवं वर्ष 2015–16 के लिए संशोधित अनुमान (आय –व्यकक अनुभाग) विभाग के परिपत्र क्रमांक **पं.4(37)वित्त –1(1)आ.व्य./2015 जयपुर दिंनाक 31 अगस्त 2015 (संलग्न)** द्वारा जारी किये गये दिशा निर्देशों के अनुरुप निर्धारित बजट प्रोग्राम तिथि को निर्धारित प्रपत्र सं. 1 से 13 में (Plan+ Non-Plan) के बजट प्रस्ताव तैयार करवाकर एक प्रति के साथ सम्बन्धित कार्मिक एवं कम्प्यूटर दक्ष कार्मिक को निदेशालय में उपस्थित होने हेतु पाबन्द करावें।

आप द्वारा प्रस्तुत आय–व्ययक / संशोधित अनुमानों को I.F.M.S. पोर्टल पर ऑन लाईन किया जाना हैं। प्रत्येक शीर्षो के लिए अलग–अलग प्रपत्रों का उपयोग करतें हुए बजट तैयार करवावें। यात्रा, चिकित्सा व अन्य लम्बित देयताओं की सूचि पृथक से तैयार करवाकर प्रेषित करावें। स्वीकृत पदों की स्थिति जानने के लिए I.F.M.S. पोर्टल पर → finance → Post → Distribution → Report का अवलोकन करें। प्रस्तुत किया जाने वाला बजट सही एवं पूर्ण सावधानी के साथ तैयार किया जाना है, गलत सूचना प्रेषण से प्रभावित होने वाली स्थिति के लिए आप व्यक्तिशः जिम्मेदार होंगें।

सलंग्नः– बजट प्रोग्राम

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांकः–एफ.2 / डीईएस / लेखा(बजट) / 2015–16 / I/37674 दिनांक 01-09-15

प्रतिलिपि निम्न को प्रेषित कर लेख हैं कि जारी वित्त विभाग के बजट परिपत्र की अनुपालना करतें हुए पूर्ण गणितीय शुद्धता के साथ निर्धारित प्रोग्राम तिथि को बजट प्रस्ताव व्यक्तिशः सम्बन्धित कार्मिक एवं कम्प्यूटर दक्ष व्यक्ति के साथ प्रस्तुत करवाना सुनिश्चित करावें।

1. संयुक्त निदेशक / उपनिदेशक / सहायक निदेशक................................
2. सहायक लेखाधिकारी–I/II / प्रशासनिक अधिकारी / स्टोर कीप्पर / केयर टेकर श्री.................. ....
3. प्रोग्रामर मुख्यालय को वास्ते विभागीय, पोर्टल पर अपलोड करवाने हेतु प्रेषित हैं।

लेखाधिकारी

राजस्थान सरकार
आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय,
योजना भवन, जयपुर।

बजट प्रोग्राम

क्र. स.	जिला कार्यालय	आय–व्यय अनुमान वर्ष 2016–17 निदेशालय में प्रस्तुत कराने की दिनांक	क्र. स.	जिला कार्यालय	आय–व्यय अनुमान वर्ष 2016–17 निदेशालय में प्रस्तुत कराने की दिनांक
1.	बूंदी	15.09.2015	18.	जालौर	17.09.2015
2.	चुरू		19.	झालावाड	
3.	हनुमानगढ		20.	जोधपुर	
4.	झुन्झुनू		21.	नागौर	
5.	करौली		22.	पाली	
6.	कोटा		23.	राजसमन्द	
7.	सीकर		24.	सिरोही	
8.	टोंक		25.	अजमेर	
9.	बांसवाडा	16.09.2015	26.	अलवर	18.09.2015
10.	बारां		27.	भरतपुर	
11.	बाडमेर		28.	दौसा	
12.	भीलवाडा		29.	धौलपुर	
13.	बीकानेर		30.	जयपुर	
14.	चित्तौडगढ		31.	सवाईमाधापुर	
15.	डूंगरपुर		32.	उदयपुर	
16.	गंगानगर		33.	प्रतापगढ	
17.	जैसलमेर		34.	मुख्यालय	

लेखाधिकारी

आय–व्ययक महत्त्वपूर्ण

समस्त नियंत्रण अधिकारियों से अनुरोध है कि वे इस परिपत्र का कृपया अत्यन्त सावधानीपूर्वक पठन कर सभी स्तरों पर वांछित कार्रवाई सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(आय–व्ययक अनुभाग)

बजट परिपत्र

क्रमांक :प.4(37)वित्त–1(1)आ.व्य./2015 — जयपुर, दिनांक : 31 अगस्त, 2015

विषयः– आगामी वित्तीय वर्ष 2016–2017 के लिए आय–व्ययक अनुमान तथा चालू वित्तीय वर्ष 2015–2016 के लिए संशोधित अनुमान।

1. समस्त बजट नियंत्रण अधिकारियों से अनुरोध है कि आगामी वित्तीय वर्ष 2016–2017 के आय–व्ययक अनुमान तथा चालू वित्तीय वर्ष 2015–2016 के संशोधित अनुमान निर्धारित समयावधि में निर्धारित प्रपत्रों में तैयार कर, अनिवार्य रूप से एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से वित्त विभाग में प्रेषित किए जाए। **आय–व्ययक अनुमान तैयार करने के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा निर्देश परिशिष्ट "क" "ख" "ग" "घ", समय सारणी को परिशिष्ट "ङ" एवं निर्धारित प्रपत्र संख्या 1 से 13 वित्त विभाग की वेबसाइट finance.rajasthan.gov.in से Download किये जावें।** इसके अतिरिक्त परिपत्र में संदर्भित विभिन्न विभागों द्वारा जारी किये गये आदेशों/परिपत्रों की प्रति भी सुलभ संदर्भ हेतु इसी वेबसाइट पर उपलब्ध है। उक्त दिशा निर्देश एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली की वेबसाईट http://ifms.raj.nic.in पर भी उपलब्ध हैं।

2. इन अनुमानों को तैयार करने के लिए निम्नांकित बिन्दुओं को भी ध्यान में रखा जाना अनिवार्य है :–

- आय–व्ययक अनुमान तैयार करने के सम्बन्ध में समस्त आकलन अधिकारियों तथा नियन्त्रण अधिकारियों द्वारा ध्यान में रखे जाने योग्य विशेष दिशा निर्देश **परिशिष्ट "क"** पर उपलब्ध है।
- विभागों में विद्यमान पद, कार्यरत कार्मिक, दूरभाष सुविधा, कम्प्यूटर्स संबंधी उपकरण तथा वाहनों का विवरण संबंधित विभागों द्वारा **एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (IFMS) में माह सितम्बर, 2015 में ऑन–लाइन अद्यतन** कराया जाना सुनिश्चित कराया जाए। इन सूचनाओं / विवरण के अद्यतन होने के पश्चात् निर्धारित प्रपत्र संख्या 1 से 4 के अधिकांश कॉलम्स में सूचना स्वतः दर्शित होगी। इस संबंध में कोई कठिनाई होने पर वित्त विभाग में स्थापित हेल्प डेस्क से सहायता प्राप्त की जा सकती है।
- राजस्व प्राप्तियों के अनुमान कर, शुल्क, फीस आदि की विद्यमान दरों पर आधारित होने चाहिएं। व्यय के अनुमानों का समुचित तरीके से वास्तविक आंकलन किया जाए एवं अनावश्यक व्ययों हेतु कोई प्रस्ताव नहीं भिजवाए जाएं। **एक मुश्त प्रावधान के प्रस्ताव प्रेषित नहीं किए जाएं।**
- **अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना (Special Component Plan for Scheduled Caste)** एवं अनुसूचित जनजाति **उपयोजना (Tribal Sub Plan)** हेतु निर्धारित निधि प्रवाह (Funds Flow) सुनिश्चित करने के लिए आयोजना विभाग के परिपत्र क्रमांक प.10(10)आयो/ग्रुप–5/2009 दिनांक 06.02.2012 में उल्लेखित दिशा–निर्देशों का पालन करते हुए परिपत्र क्रमांक प.10(20)आयो/ग्रुप–5/2013 दिनांक 17.09.2013 द्वारा निर्धारित प्रतिशत में प्रस्ताव तैयार किए जाएं।
- **जेण्डर बजट स्टेटमेंट** तैयार करने के लिए वित्त (बजट) विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प0 4(92)वित्त–1(1)आय–व्ययक/2008–पा–2 दिनांक 8 नवम्बर, 2012 तथा महिला अधिकारिता विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में जारी किए गए निर्देशों का पालन करते हुए संबंधित विभागों द्वारा संचालित कार्यक्रमों तथा योजनाओं में महिलाओं के लिए आवंटित राशि के आधार पर निर्दिष्ट वर्गीकरण करते हुए प्रस्ताव तैयार किए जाएं।

- **पंचायती राज संस्थाओं को हस्तान्तरित 5 विभागों**, यथा प्रारम्भिक शिक्षा, कृषि, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग मय निधियों, गतिविधियों एवं कार्मिकों के हस्तान्तरण के संदर्भ में पचायती राज संस्थाओं को आवश्यक निधियां हस्तान्तरित करने के लिए इस विभाग के परिपत्र क्रमांक प.4(22) वित्त–1(1)/आ.व्य./03 दिनांक 02 अक्टूबर, 2010 के बिन्दु संख्या 7 के अनुसार बजट प्रावधान प्रस्तावित किए जाएं।
- **योजनागत बजट का 3 प्रतिशत** भाग विभाग की ई–गवर्नेन्स परियोजनाओं, आई.टी. के प्रयोग एवं कम्प्यूटराइजेशन में उपयोग करने हेतु सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के परिपत्र क्रमांक F.(387)DoIT/Tech/09/2834 दिनांक 04.12.2009 में दिए गए दिशा–निर्देशों के अध्यधीन बजट प्रावधान प्रस्तावित किए जाएं ।

3. एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली का उपयोग करने के लिए विस्तृत विवरण **परिशिष्ट–ख** पर उपलब्ध है। यह विवरण उपरोक्त साइट पर **Operational Manual** के रूप में भी उपलब्ध रहेगा। सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्न (**FAQ**) भी इस साइट पर उपलब्ध होंगे। तकनीकी सहायता के लिए वित्त विभाग, सचिवालय में स्थित हैल्प डैस्क **(0141-5153222, Ext. 24449/24452)** पर या **e-mail** के माध्यम से **ifms-rj@nic.in** पर सम्पर्क किया जा सकता है।
4. "राज्य योजना के लिए केन्द्रीय सहायता" की श्रेणी में आने वाली योजनाओं एवं इसकी घटक योजनाओं/उपयोजनाओं की मेपिंग आयोजना विभाग से करावें। एक से अधिक योजनाओं/ उप–योजनाओं का विवरण अलग प्रपत्र में अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाया जावे।
5. विभाग, जिन्हें **निष्पादन आय–व्ययक** भी प्रस्तुत करना है, की सूची मय आवश्यक दिशा–निर्देश **परिशिष्ट –'ग'** पर उपलब्ध है।
6. समस्त अपेक्षित सूचना भेजने में होने वाली त्रुटियों की सम्भावना समाप्त करने हेतु उचित जाँचों एवं सावधानी से कार्य को सुगम बनाने की दृष्टि से **परिशिष्ट –'घ'** के रूप में एक **मार्ग दर्शिका** दी गई है। समस्त विभागाध्यक्षों को सलाह दी जाती है कि वे अनुमान प्रस्तुत करते समय इस मार्ग दर्शिका का उपयोग करें।
7. समस्त बजट आंकलन अधिकारियों तथा नियंत्रण अधिकारियों से अनुरोध है कि वे बजट प्रस्ताव **परिशिष्ट – 'ङ'** पर उपलब्ध **समय सारिणी** में अंकित निर्धारित तिथि तक सारिणी में दर्शित विभाग को प्रेषित करें।

सिद्धार्थ

(सिद्धार्थ महाजन)
विशिष्ट शासन सचिव, वित्त (बजट)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :–

(1) सचिव, मुख्यमंत्री महोदया
(2) समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/ विशिष्ट शासन सचिव
(3) विशिष्ट सहायक/ निजी सचिव, समस्त मंत्रीगण / राज्य मंत्रीगण
(4) निजी सचिव, मुख्य सचिव
(5) प्रधान महालेखाकार/महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर
(6) समस्त विभागाध्यक्ष, राजस्थान सरकार
(7) सचिवालय के समस्त अनुभाग
(8) राज्य सूचना अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (NIC)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी प्रेषित है :–

(1) प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल
(2) सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर
(3) रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/ जयपुर
(4) सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
(5) सचिव, लोकायुक्त, राजस्थान, जयपुर
(6) अतिरिक्त निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर) विभाग को प्रेषित कर लेख है कि बजट परिपत्र को वित्त विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करवाने का श्रम करावें।

(शरद मेहरा)
निदेशक (बजट)

[12 / 2015]

प्रपत्र-1

(अ) नियमित / कार्य-प्रभारित स्वीकृत पदों का विवरण

कार्यालय का नाम.................... विभाग का नाम................

क्रम संख्या	लेखे का शीर्ष - मुख्य शीर्ष/ उप-मुख्य शीर्ष/ लघु शीर्ष/उप-शीर्ष/ ग्रुप शीर्ष	आयोजना भिन्न / आयोजना / राज्य आयोजना के लिए केन्द्रीय सहायता	पद नाम	ग्रेड पे तथा ग्रेड पे संख्या	वर्तमान में स्वीकृत पदों की संख्या	नियमित कार्यरत कर्मचारी		रिक्त पदों की संख्या [6-(7+8)]
						1 जनवरी, 2004 से पूर्व नियुक्त	1 जनवरी, 2004 तथा उसके पश्चात नियुक्त	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

नोट:

1. स्वीकृत पदों की प्रविष्टि करते समय नियमित / कार्य-प्रभारित में से चयन करें।
2. ऑनलाइन प्रविष्टि (entry) के लिए कॉलम 2 के लिए बजट शीर्ष भरना होगा तथा कॉलम 7 व 8 की सूचना की प्रविष्टि करना अनिवार्य है। शेष कॉलम की सूचना विभागों द्वारा पूर्व में प्रविष्टि की गई सूचना के आधार पर स्वतः ही इस प्रपत्र में दर्शित होगी। **कॉलम 3 में 'आयोजना' का चयन करने पर कॉलम संख्या 6 में 'आयोजना' तथा 'राज्य आयोजना के लिए केन्द्रीय सहायता' में स्वीकृत पदों का कुल योग दर्शित होगा जिसे संबंधित विभागों के द्वारा अद्यतन किया जाना अनिवार्य है। कॉलम 3 में 'राज्य आयोजना के लिए केन्द्रीय सहायता' का चयन करने पर कॉलम संख्या 6 में 'राज्य आयोजना के लिए केन्द्रीय सहायता' में स्वीकृत पदों की संख्या भी पृथक से दर्शित होगी जिसे संबंधित विभागों के द्वारा अद्यतन किया जाना अनिवार्य है।**
3. स्वीकृत स्टाफ के वे पदनाम ही दर्शाए जाएं जो कि संबंधित सेवा नियम तथा राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2008 में अंकित हैं। **इस विवरण की** सत्यता की जॉच कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निम्नलिखित प्रमाण पत्र देते हुए की जायेगी।

प्रमाणित किया जाता है कि पदों के संदर्भ में उपर्युक्त सूचना की मेरे द्वारा व्यक्तिगत रूप से जॉच कर ली गई है और इसे सही पाया गया है।

कार्यालयाध्यक्ष

(ब) स्वीकृत रिक्त पदों के विरुद्ध विभाग में कार्यरत अन्य कार्मिकों का विवरण

कार्यालय का नाम..................... विभाग का नाम................

क्रम सख्या	लेखे का शीर्ष- मुख्य शीर्ष/ उप-मुख्य शीर्ष/ लघु शीर्ष/उप-शीर्ष/ ग्रुप शीर्ष	आयोजना भिन्न / आयोजना / राज्य आयोजना के लिए केन्द्रीय सहायता	पद नाम	ग्रेड पे	रिक्त पदों की सख्या	तदर्थ अस्थाई नियुक्ति (सख्या)	औसत प्रति व्यक्ति प्रति माह व्यय (रूपयों में)	पुनर्नियुक्ति (सख्या)	औसत प्रति व्यक्ति प्रति माह व्यय (रूपयों में)	एजेंसी के माध्यम से (संख्या)	औसत प्रति व्यक्ति प्रति माह व्यय (रूपयों में)	प्रत्यक्ष संविदा (संख्या)	औसत प्रति व्यक्ति प्रति माह व्यय (रूपयों में)	कार्मिक विभाग के परिपत्र के अनुसार (संख्या)	औसत प्रति व्यक्ति प्रति माह व्यय (रूपयों में)	अन्य (सख्या)	औसत प्रति व्यक्ति प्रति माह व्यय (रूपयों में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

नोटः- 1. **(कॉलम 2) ऑनलाइन प्रविष्टि के समय उन्हीं बजट शीर्ष में प्रविष्टि सम्भव होगी जो प्रपत्र 1(अ) में अंकित किए गए हैं। कॉलम 3, 4, 5 व 6 में सूचना चयन के आधार पर स्वतः उपलब्ध होगी। शेष सभी कॉलम में सूचना की प्रविष्टि करनी होगी।**

2. कॉलम संख्या 3 में 'आयोजना' का चयन करने पर कॉलम सख्या 6 में 'राज्य आयोजना के लिए केन्द्रीय सहायता' के अन्तर्गत रिक्त पदों की संख्या को भी सम्मिलित किया जावे। कॉलम सख्या 3 में 'राज्य आयोजना के लिए केन्द्रीय सहायता' का चयन करने पर कॉलम संख्या 6 में 'राज्य आयोजना के लिए केन्द्रीय सहायता' के अन्तर्गत रिक्त पदो की सख्या को दर्शाया जावे।

3. स्वीकृत स्टाफ के वे पदनाम ही दर्शाए जाएं जो कि संबंधित सेवा नियम तथा राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम 2008 में अंकित हैं। इस विवरण की सत्यता की जॉच कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निम्नलिखित प्रमाण पत्र देते हुए की जायेगी।

प्रमाणित किया जाता है कि पदों के संदर्भ में उपर्युक्त सूचना की मेरे द्वारा व्यक्तिगत रूप से जॉच कर ली गई है और इसे सही पाया गया है।

कार्यालयाध्यक्ष

(स) विभाग में कार्यरत अन्य कार्मिकों का विवरण (स्वीकृत पदों के अतिरिक्त)

कार्यालय का नाम..................... विभाग का नाम................

क्रम सख्या	लेखे का शीर्ष - मुख्य शीर्ष/ उप-मुख्य शीर्ष/ लघु शीर्ष/उप-शीर्ष/ ग्रुप शीर्ष	आयोजना भिन्न / आयोजना / राज्य आयोजना के लिए केन्द्रीय सहायता	पद नाम	सख्या	वार्षिक वित्तीय भार (रुपये सहस्त्र में)
1	2	3	4	5	6

नोट. (1) ऑनलाइन प्रविष्टि के लिए कॉलम 2 की प्रविष्टियां उन्ही शीर्षों के लिए होगी जो विभाग के बजट नियंत्रण अधिकारी से संबंधित है।

(2) कॉलम संख्या 3 मे 'आयोजना' का चयन करने पर कॉलम सख्या 5 व 6 मे 'राज्य आयोजना के लिए केन्द्रीय सहायता' के अन्तर्गत संख्या एव वार्षिक वित्तीय भार को भी सम्मिलित किया जावे। इसी प्रकार कॉलम सख्या 3 मे 'राज्य आयोजना के लिए केन्द्रीय सहायता' का चयन करने पर कॉलम सख्या 5 व 6 मे 'राज्य आयोजना के लिए केन्द्रीय सहायता' के अन्तर्गत सख्या एवं वार्षिक वित्तीय भार को दर्शित किया जावे।

(3) उपलब्ध करवाए गए विवरण की सत्यता की जॉच कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निम्नलिखित प्रमाण पत्र देते हुए की जायेगी।

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त सूचना की मेरे द्वारा व्यक्तिगत रूप से जाँच कर ली गई है और इसे सही पाया गया है।

कार्यालयाध्यक्ष

प्रपत्र-2

विभाग के लिए स्वीकृत टेलीफोन तथा मोबाइल का विवरण

विभाग का नाम................................

क्रम संख्या	लेखे का शीर्ष - मुख्य शीर्ष/ उप-मुख्य शीर्ष/ लघु शीर्ष/उप-शीर्ष/ ग्रुप शीर्ष	आयोजना भिन्न / आयोजना / राज्य आयोजना के लिए केन्द्रीय सहायता	कार्यालय का नाम	पद नाम	टेलीफोनों की संख्या		
					कार्यालय	निवास	मोबाइल
1	2	3	4	5	6	7	8

नोट: 1. ऑनलाइन प्रविष्टि के लिए कॉलम 2 में बजट शीर्ष भरना होगा। शेष कॉलम की सूचना विभागों द्वारा पूर्व में प्रविष्टि की गई सूचना के आधार पर स्वत: ही इस प्रपत्र में दर्शित होगी जिसे संबंधित विभागों के द्वारा अद्यतन किया जाना अनिवार्य है।

2. कॉलम 3 में आयोजना (Plan) के अन्तर्गत प्रविष्टि करते समय कॉलम संख्या 6, 7 व 8 में स्वीकृत टेलीफोनों की संख्या में 'राज्य आयोजना के लिए केन्द्रीय सहायता' के अन्तर्गत स्वीकृत टेलीफोनों की संख्या को भी सम्मिलित किया जावे। साथ ही, कॉलम 3 में 'राज्य आयोजना के लिए केन्द्रीय सहायता' का चयन करने पर इन संख्याओं को पृथक से भी दर्शाया जावे।

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त सूचना की मेरे द्वारा व्यक्तिगत रूप से जॉच कर ली गई है और इसे सही पाया गया है।

कार्यालयाध्यक्ष

प्रपत्र-3

विभाग में उपलब्ध कम्प्यूटर्स एवं किराए पर लिए गए कम्प्यूटर्स की सूचना

विभाग का नाम................................

क्रम संख्या	लेखे का शीर्ष - मुख्य शीर्ष/ उप-मुख्य शीर्ष/ लघु शीर्ष/उप-शीर्ष/ ग्रुप शीर्ष	आयोजना भिन्न / आयोजना / राज्य आयोजना के लिए केन्द्रीय सहायता	कार्यालय का नाम	विभागीय		किराए पर लिए गए कम्प्यूटर		
				कम्प्यूटर (संख्या)	प्रिन्टर (संख्या)	मशीन विद मैन (संख्या)	केवल मशीन (संख्या)	वार्षिक भार (रुपये सहस्त्र में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

नोट: 1. ऑनलाइन प्रविष्टि के लिए कॉलम-2 में बजट शीर्ष अंकित करना होगा। कॉलम-3 व 4 में चयन किया जाना है। विभाग के वे कार्यालय स्वत: दिखाए जाएगे जिन्हे विभाग पहले से मैप कर चुके हैं। कॉलम 5 व 6 की सूचना विभागों द्वारा पूर्व में प्रविष्टि की गई सूचना के आधार पर स्वत: ही इस प्रपत्र में दर्शित होगी जिसे संबंधित विभागों के द्वारा अद्यतन किया जाना अनिवार्य है। शेष कॉलम 7 से 9 में सूचना की प्रविष्टि करनी होगी।

2. कॉलम संख्या 3 में 'आयोजना' का चयन करने पर 'राज्य आयोजना के लिए केन्द्रीय सहायता' से संबंधित विवरण भी निर्धारित कॉलम में सम्मिलित किया जावे। साथ ही, कॉलम 3 में 'राज्य आयोजना के लिए केन्द्रीय सहायता' का चयन करने पर इन संख्याओं को पृथक से भी दर्शाया जावे।

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त सूचना की मेरे द्वारा व्यक्तिगत रूप से जॉच कर ली गई है और इसे सही पाया गया है।

कार्यालयाध्यक्ष

प्रपत्र-4 (अ)
विभाग में उपलब्ध वाहनों की सूची

विभाग का नाम............................

कार्य-कलाप/कार्यालय वाहन

क्रम संख्या	लेखे का शीर्ष - मुख्य शीर्ष/ उप-मुख्य शीर्ष/ लघु शीर्ष/उप-शीर्ष/ ग्रुप शीर्ष	आयोजना भिन्न / आयोजना / राज्य आयोजना के लिए केन्द्रीय सहायता	कार्यालय का नाम	पद नाम	वाहनों का विवरण		
					वाहन का प्रकार - जीप/ कार / अन्य	रजिस्ट्रेशन संख्या	क्रय का वर्ष
1	2	3	4	5	6	7	8

नोट: (1) 'कार्यालय वाहन' व 'कार्य-कलाप वाहन' की दोनों श्रेणियों में यही प्रपत्र भरा जाना है। अत: कार्यालय वाहन व कार्य-कलाप वाहन का क्रमश: चयन कर इस प्रपत्र में सूचना अंकित करें।

(2) अगर पूल का वाहन है तो पदनाम (कॉलम 5) में विभागाध्यक्ष (HOD) का पदनाम सिलेक्ट करें। कार्यकलाप वाहनों की श्रेणी में अधिकारी के पदनाम के भरने की आवश्यकता नहीं है।

(3) ऑनलाइन प्रविष्टि के लिए कॉलम-2 में बजट शीर्ष अंकित करना होगा। कॉलम संख्या 3, 4 व 5 में चयन किया जाना है। शेष कॉलम में सूचना विभागों द्वारा पूर्व में प्रविष्टि की गई सूचना के आधार पर स्वत: ही इस प्रपत्र में दर्शित होगी जिसे संबंधित विभागों के द्वारा अद्यतन किया जाना अनिवार्य है।

(4) कॉलम संख्या 3 में 'आयोजना' का चयन करने पर 'राज्य आयोजना के लिए केन्द्रीय सहायता' से संबंधित विवरण भी निर्धारित कॉलम में सम्मिलित किया जावे। साथ ही, कॉलम 3 में 'राज्य आयोजना के लिए केन्द्रीय सहायता' का चयन करने पर इन संख्याओं को पृथक से भी दर्शाया जावे।

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त सूचना की मेरे द्वारा व्यक्तिगत रूप से जॉच कर ली गई है और इसे सही पाया गया है।

कार्यालयाध्यक्ष

प्रपत्र-4 (ब)
विभाग द्वारा किराए पर लिए गए वाहनों की सूची

विभाग का नाम............................

कार्य-कलाप/कार्यालय वाहन

क्रम संख्या	लेखे का शीर्ष - मुख्य शीर्ष/ उप-मुख्य शीर्ष/ लघु शीर्ष/उप-शीर्ष/ ग्रुप शीर्ष	आयोजना भिन्न / आयोजना / राज्य आयोजना के लिए केन्द्रीय सहायता	कार्यालय का नाम	वाहनों का विवरण		
				वाहन का प्रकार - जीप / कार / अन्य	कुल संख्या	पिछले वित्तीय वर्ष में व्यय की गई राशि (रुपये सहस्त्र में)
1	2	3	4	5	6	7

नोट: 1. ऑनलाइन प्रविष्टि के लिए कॉलम-2 मे बजट शीर्ष अंकित करना होगा, कॉलम संख्या 3 व 4 में चयन के आधार पर सूचना उपलब्ध रहेगी। शेष कॉलम मे सूचना विभागो द्वारा पूर्व में प्रविष्टि की गई सूचना के आधार पर स्वत: ही इस प्रपत्र में दर्शित होगी जिसे संबंधित विभागों के द्वारा अद्यतन किया जाना अनिवार्य है।

2. कॉलम संख्या 3 मे 'आयोजना' का चयन करने पर 'राज्य आयोजना के लिए केन्द्रीय सहायता' से सबंधित विवरण भी निर्धारित कॉलम मे सम्मिलित किया जावे। साथ ही, कॉलम 3 में 'राज्य आयोजना के लिए केन्द्रीय सहायता' का चयन करने पर इन संख्याओं को पृथक से भी दर्शाया जावे।

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त सूचना की मेरे द्वारा व्यक्तिगत रूप से जॉच कर ली गई है और इसे सही पाया गया है।

कार्यालयाध्यक्ष

प्रपत्र - 5

(अ) पी. डी. खातों में हस्तान्तरित राशि एवं उसके उपयोग की स्थिति का विवरण

कार्यालय का नाम...................... विभाग का नाम..............

क्रम संख्या	निजी निक्षेप खाता संख्या (नय पूर्ण शीर्ष) जिसमें राशि हस्तान्तरित की जाती है	खाते का नाम	कोषालय का नाम	विभागीय / गैर विभागीय	दिनांक 01.04.2015 को प्रारम्भिक शेष राशि (रूपये सहस्त्र में)	2015-16			दिनांक 31.08.2015 को शेष (6+8-9) (रूपये सहस्त्र में)
						पूर्ण शीर्ष जिससे राशि हस्तान्तरित की गई	हस्तान्तरित राशि (रूपये सहस्त्र में)	दिनांक 31 अगस्त तक व्यय राशि (रूपये सहस्त्र में)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	योग :								

नोट: एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली पर उपलब्ध निजी निक्षेप खातों को बी.एफ.सी. इकाई से मैप करने की सुविधा उपलब्ध होगी जिसके पश्चात यह रिपोर्ट स्वत: ही उपलब्ध होगी। इसके लिए बजट नियंत्रण अधिकारी संबंधित निजी निक्षेप खातों में दिनांक 31.03. 2015 को उपलब्ध शेष का कोषालयों से मिलान कर आवश्यक संशोधन किया जाना सुनिश्चित करें।

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त सूचना की मेरे द्वारा व्यक्तिगत रूप से जॉच कर ली गई है और इसे सही पाया गया है।

कार्यालयाध्यक्ष

(ब) बैंक खातों की स्थिति का विवरण

कार्यालय का नाम...................... विभाग का नाम..............

क्रम संख्या	बैंक तथा शाखा का नाम (आईएफसी कोड सहित)	बैंक खाते का नम्बर	खाताधारक का नाम	विभागीय / गैरविभागीय	दिनांक 01.04.2015 को अवशेष राशि	2015-16		दिनांक 31 08 2015 को शेष (6+7-8)
						हस्तान्तरित राशि	दिनांक 31 अगस्त तक व्यय राशि	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	अ. बचत खाता ब. चालू खाता स. स्थाई खाता							
	योग :							

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त सूचना की मेरे द्वारा व्यक्तिगत रूप से जॉच कर ली गई है और इसे सही पाया गया है।

कार्यालयाध्यक्ष

प्रपत्र-6

बकाया ऋण एवं अग्रिमों का विवरण

विभाग का नाम................................ (राशि सहस्त्र में)

क्रम संख्या	लेखे का शीर्ष - मुख्य शीर्ष/ उप-मुख्य शीर्ष/ लघु शीर्ष/उप-शीर्ष/ ग्रुप शीर्ष	आयोजना भिन्न / आयोजना / राज्य आयोजना के लिए केन्द्रीय सहायता	डेबिट / क्रेडिट (Dr. / Cr.)	दिनांक 01.04.2015 को कुल बकाया		दिनांक 01.04.2015 को कुल बकाया में से Overdue	वर्ष 2015-16 में वितरण		वर्ष 2015-16 में ऋण की शर्तो के अनुसार अपेक्षित वसूली (due)		वर्ष 2015-16 में मूल ऋण की वसूली के अनुमान	
				मूल	ब्याज	मूल	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	मूल	ब्याज	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

वर्ष 2015-16 में ब्याज की सम्भावित वसूली	दिनांक 01.04.2016 को कुल बकाया		वर्ष 2016-17 में ऋण की शर्तो के अनुसार अपेक्षित वसूली	वर्ष 2016-17 में ऋण वितरण के बजट अनुमान
	मूल ऋण	ब्याज		
14	15 (5+9-13)	16 (6+11-14)	17	18

नोट -

(1) चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों तथा आगामी वर्ष के बजट अनुमानों में, यदि मूल तथा ब्याज की वसूली, ऋण की शर्तों के अनुसार अपेक्षित वसूली से कम प्रस्तावित की गई हैं तो उसके कारण दर्शाए जाएं।

(2) कॉलम संख्या 3 में 'आयोजना' का चयन करने पर 'राज्य आयोजना के लिए केन्द्रीय सहायता' से संबंधित विवरण भी निर्धारित कॉलम में सम्मिलित किया जावे। साथ ही, कॉलम 3 में 'राज्य आयोजना के लिए केन्द्रीय सहायता' का चयन करने पर इन संख्याओं को पृथक से भी दर्शाया जावे।

(3) दिनांक 01.04.2015 को बकाया दर्शाई गई मूल ऋण राशि एवं ब्याज तथा वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 में ऋण की शर्तो के अनुसार वसूली योग्य राशि के संबंध में कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निम्नलिखित प्रमाण पत्र अंकित किया जाए।

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त सूचना की मेरे द्वारा व्यक्तिगत रूप से जॉच कर ली गई है और इसे सही पाया गया है।

कार्यालयाध्यक्ष

प्रपत्र-7

राज्य योजना के लिए केन्द्रीय सहायता प्राप्त योजनाओं में व्यय/बजट अनुमान एवं प्राप्तियों का विवरण

बी एफ सी ईकाई का नाम................................ कोड संख्या................ (रूपये सहस्त्र में)

क्रम संख्या	योजना का नाम एवं कोड संख्या	योजना का प्रकार एवं कोड संख्या	यदि योजना केन्द्रीय सहायता प्राप्त योजनाओं (66) में सम्मिलित हो तो क्रमांक संख्या	वित पोषण (प्रतिशत में)		पिछले वर्ष 2014-15 का वास्तविक व्यय		भारत सरकार से राज्य की संचित निधि में प्राप्त राशि का 01-04-2015 को शेष
				केन्द्रीय अंशदान	राज्यांश	केन्द्रीय अंशदान	राज्यांश	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

भारत सरकार से संभावित प्राप्ति (आय-व्ययक 2015-16 में दर्शित)	आय-व्ययक अनुमान 2015-16 (व्यय)		भारत सरकार से संभावित प्राप्ति के संशोधित अनुमान 2015-16	संशोधित अनुमान 2015-16 (व्यय)		वर्ष 2016-17 में भारत सरकार से प्राप्ति के अनुमान	आय-व्ययक अनुमान 2016-17 (व्यय)	
	आयोजना के अन्तर्गत कुल प्रावधान	कॉलम 11 में केन्द्रीय सहायता का अंश		आयोजना के अन्तर्गत कुल प्रावधान	कॉलम 14 में केन्द्रीय सहायता का अंश		आयोजना के अन्तर्गत कुल प्रावधान	कॉलम 17 में केन्द्रीय सहायता का अंश
10	11	12	13	14	15	16	17	18

नोट:-

1 योजना का प्रकार एवं कोड संख्या
   1. राज्य योजना के लिए केन्द्रीय सहायता प्राप्त योजनाएं(66) 01
   2. सेन्टर सेक्टर योजना 02
   3. ब्लॉक ग्रान्ट से संचालित योजनाएं 03

2 कॉलम संख्या 9 में भारत सरकार से राज्य की संचित निधि में गतवर्षों में प्राप्त राशि का शेष ही प्रदर्शित किया जाना है।

3 बी एफ सी इकाई के नाम एव कोड संख्या की पूर्ति करने पर कॉलम संख्या 1, 2, 3, 4, 11 एव 12 आई एफ एम एस में स्वत प्रदर्शित होंगे। कॉलम संख्या 2 मे योजना का चयन करने पर बजट में उपलब्ध सूचना के आधार पर कतिपय कॉलम में सूचना स्वत. दर्शित होगी। शेष कॉलम पूर्ति हेतु उपलब्ध होंगे। इन कॉलमों की पूर्ति विभागीय स्तर पर अपेक्षित है। कॉलम संख्या 14, 15, 17 व 18 में प्रस्तावित राशि प्रपत्र संख्या 9 में प्रविष्ट/अद्यतन की गई प्रविष्टियों के आधार पर सृजित होगी।

प्रमाणित किया जाता है कि उपयुक्त सूचना की मेरे द्वारा व्यक्तिगत रूप से जांच कर ली गई है और इसे सही पाया गया है।

विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष

प्रपत्र-8

निश्चित व्ययों के विस्तृत अनुमान अर्थात् अधिकारियों व कर्मचारियों के वेतन अनुमान वर्ष -------------- (अप्रैल से मार्च तक)

(बजट आंकलन अधिकारियों द्वारा विभागाध्यक्ष/बजट नियंत्रण अधिकारियों को प्रस्तुत करने हेतु)

कार्यालय का नाम......................

विभाग का नाम.................

लेखे का शीर्ष: मुख्य शीर्ष/ उप-मुख्य शीर्ष/ लघु शीर्ष/उप-शीर्ष/ ग्रुप शीर्ष .... आयोजना भिन्न / आयोजना / राज्य आयोजना के लिए केन्द्रीय सहायता

(रूपये सहस्त्र में)

क्रम संख्या	नाम	जी.पी.एफ. नम्बर / एन.पी.एस. नम्बर	पद	पद का स्वीकृत वेतन		बजट की प्रारम्भिक तिथि, यानि 1 मार्च को कर्मचारी का वेतन	पहली मार्च से अंतिम फरवरी के लिए निर्धारित रकम	वृद्धि जो इस अवधि मे होगी		आगामी वर्ष के लिए अनुमान (कॉलम 8 और 10 का योग)	चालू वर्ष के लिए संशोधित अनुमान	विशेष विवरण
				पे-बैंड	ग्रेड पे			तिथि वृद्धि	रकम वृद्धि			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

नोट - (1) उक्त परिपत्र के अधिकांश कॉलम्स में सूचना एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली में पे-मैनेजर पर उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर **स्वतः दर्शित होगी जिसमें आवश्यक संशोधन कार्यालय / विभाग स्तर पर किए जा सकेंगे।**

(2) 'आयोजना' का चयन करने पर 'राज्य आयोजना के लिए केन्द्रीय सहायता' से संबंधित विवरण भी निर्धारित कॉलम में सम्मिलित किया जावे। 'राज्य आयोजना के लिए केन्द्रीय सहायता' का चयन करने पर इन विवरण को पृथक से भी दर्शाया जावे।

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त सूचना की मेरे द्वारा व्यक्तिगत रूप से जॉच कर ली गई है और इसे सही पाया गया है।

कार्यालयाध्यक्ष

प्रपत्र-9

व्यय के विस्तृत बजट अनुमान (मय 'संवेतन' विस्तृत शीर्ष सहित)
वित्तीय वर्ष ....(1 अप्रैल से 31 मार्च तक) का

कार्यालय का नाम......................

लेखे का शीर्ष: मुख्य शीर्ष/ उप-मुख्य शीर्ष/ लघु शीर्ष/उप-शीर्ष/ ग्रुप शीर्ष ....

विभाग का नाम.................

आयोजना भिन्न / आयोजना (राज्य आयोजना के लिए केन्द्रीय सहायता सहित) (रुपये सहस्त्र में)

क्रम संख्या	विस्तृत लेखा शीर्षक	दतमत / प्रभृत	वास्तविक व्यय आकड़े (गत तीन वर्षों के)			आय-व्ययक अनुमान (चालू वर्ष)	वास्तविक व्यय आकड़े			अगस्त से मार्च तक का संभावित व्यय (चालू वर्ष)	संशोधित अनुमान (चालू वर्ष) (9+11)	संशोधित अनुमान में राज्य आयोजना के लिए केन्द्रीय सहायता	आय-व्ययक अनुमान (आगामी वर्ष)				वृद्धि (+) या कमी (-)			नवीन आइटम	विशेष विवरण
							अगस्त से मार्च तक (गत वर्ष)	अप्रैल से जुलाई तक (चालू वर्ष)	कॉलम 8 व 9 का योग				कमिटेड (Com mitted)	नवीन (New)	कुल (14+15)	राज्य आयोजना के लिए केन्द्रीय सहायता	कॉलम 7 और 12 में	कॉलम 10 और 12 में	कॉलम 12 और 16 में	हा / नही	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

नोट: 1. ऑनलाइन प्रविष्टि के लिए सर्वप्रथम बजट शीर्ष भरना होगा। तत्पश्चात आयोजना भिन्न / आयोजना का चयन करना होगा।

2. कॉलम संख्या 2 व 3 में चयन करना होगा। कालम 4, 5, 6, 7, व 9 स्वत: दर्शित होगे। कॉलम संख्या 8, 11,, 14, 15 एवं 21 में प्रविष्टि करना अनिवार्य है। इन कॉलम मे प्रविष्टि करने से कॉलम 10, 12, 16, 18, 19 व 20 में राशियां स्वत दर्शित हो जावेगी। आयोजना की सूचना के अन्तर्गत कॉलम संख्या 13 एवं 17 में भी प्रविष्टि करना अनिवार्य है। 'आयोजना भिन्न' की सूचना दर्ज करने पर ये दोनों कॉलम नहीं भरे जावेंगे।

3. आयोजना के अन्तर्गत संशोधित अनुमान चालू वर्ष (कॉलम संख्या 12) एवं आय-व्ययक अनुमान आगामी वर्ष (कॉलम संख्या 16) में राज्य आयोजना के लिए केन्द्रीय सहायता' की राशि भी सम्मिलित की जावे तथा सम्मिलित की गई इस राशि को राज्य आयोजना के लिए केन्द्रीय सहायता' (क्रमश: कॉलम संख्या 13 व 17) में भी अंकित किया जावे।

4. अगर नवीन आइटम (कॉलम संख्या 21) में 'हॉं' का चयन किया गया है तो निम्न प्रपत्र एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली मे उपलब्ध होंगे तथा इनमें समस्त कॉलम की प्रविष्टि किया जाना अनिवार्य है। नवीन आइटम - **नवीन पद, कार्यालय सामग्री, भौतिक वस्तुएं,** वाहन क्रय, **किराए के वाहन, किराए की सेवाएं** (Hiring of Services) **एवं अन्य प्रकृति के हो सकते हैं। इनके लिए प्रपत्र निम्नांकित हैं**

नवीन पदों के लिए निम्नांकित प्रपत्र होगा:

क्रमांक	पद नाम	नया / क्रमोन्नयन	पे बैंड	ग्रेड पे	कुल पद	विवरण
1	2	3	4	5	6	7

अन्य नवीन आइटम के लिए निम्न प्रपत्र होगा

क्रमांक	नवीन आइटम प्रकार	क्रय / किराया	आइटम का नाम	संख्या	आवर्ती व्यय मासिक	अनावर्ती भार	कुल वार्षिक भार	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9

नोट. नवीन आइटम कॉलम संख्या 2 में वाहन होने पर ही कॉलम संख्या 3 में प्रविष्टि की जानी है।
उक्त सूचना प्रपत्र 9 के कॉलम 2 में दर्शाए गए प्रत्येक बजट शीर्ष के लिए भरी जायेगी।
प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त सूचना की मेरे द्वारा व्यक्तिगत रूप से जॉंच कर ली गई है और इसे सही पाया गया है।

कार्यालयाध्यक्ष / विभागाध्यक्ष

प्रपत्र-10

आय का विस्तृत बजट अनुमान वित्तीय वर्ष ....(1 अप्रैल से 31 मार्च तक) का

कार्यालय का नाम.....................

विभाग का नाम................

(रूपये सहस्त्र में)

क्रम संख्या	लेखे का शीर्ष - मुख्य शीर्ष/ उप-मुख्य शीर्ष/ लघु शीर्ष/उप-शीर्ष/ ग्रुप शीर्ष	वास्तविक आय के आंकड़े (गत तीन वर्षों के)			आय-व्ययक अनुमान (चालू वर्ष)	वास्तविक आय के आंकड़े			अगस्त से मार्च तक की संभावित आय (चालू वर्ष)	संशोधित अनुमान (चालू वर्ष) (8+10)	आय-व्ययक अनुमान (आगामी वर्ष)	वृद्धि (+) या कमी (-)		
						अगस्त से मार्च तक (गत वर्ष)	अप्रैल से जुलाई तक (चालू वर्ष)	कॉलम 7 व 8 का योग				कॉलम 6 और 11 में	कॉलम 9 और 11 में	कॉलम 11 और 12 में
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

नोट: 1. ऑनलाइन प्रविष्टि के लिए कॉलम संख्या 2 में बजट शीर्ष भरना होगा। कॉलम 3,4,5,6,8, 9, 13, 14 व 15 स्वत: आयेंगे। शेष कॉलम की प्रविष्टि करनी होगी।

2. कार्यालय स्तर पर सिर्फ कॉलम 7,10,11 व 12 में सूचना दर्ज करनी होगी।

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त सूचना की मेरे द्वारा व्यक्तिगत रूप से जॉच कर ली गई हैं और इसे सही पाया गया है।

कार्यालयाध्यक्ष / विभागाध्यक्ष

प्रपत्र - 11

जेण्डर बजट विवरण (Gender Budget Statement) – A से D श्रेणी

विभाग का नाम.................

आयोजना भिन्न / आयोजना

(रूपये सहस्त्र में)

क्र.सं.	योजना का नाम	बजट शीर्ष (पूर्ण बजट शीर्ष अंकित करें)	बजट अनुमान 2016-17	बजट अनुमान 2016-17 में आवंटन के आधार पर श्रेणियाँ							
				A		B		C		D	
				70 प्रतिशत से अधिक		70-30 प्रतिशत के मध्य		30-10 प्रतिशत के मध्य		10 प्रतिशत से कम	
				राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

नोट: 1. आयोजना भिन्न / आयोजना में से चयन करना होगा।

2. कॉलम संख्या 2, 3, 6, 8, 10 व 12 की पूर्ति **विभाग** द्वारा की जावेगी।

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त सूचना की मेरे द्वारा व्यक्तिगत रूप से जॉच कर ली गई है और इसे सही पाया गया है।

कार्यालयाध्यक्ष / विभागाध्यक्ष

प्रपत्र-12

बाहय सहायता प्राप्त योजनाओं में व्यय/बजट अनुमान एवं प्राप्तियों का विवरण

बी एफ सी ईकाई का नाम................................ कोड संख्या................ **(रूपये सहस्त्र में)**

क्रम संख्या	योजना का नाम एवं कोड संख्या	बाहय वित्तीय संस्था का नाम	वित्त पोषण (प्रतिशत में)		पिछले वर्ष 2014-15 का वास्तविक व्यय		भारत सरकार के माध्यम से राज्य की संचित निधि मे प्राप्त राशि का 01-04-2015 को शेष (ऋण सहित)
			बाहय वित्तीय संस्था के द्वारा सहायता (ऋण सहित)	राज्यांश	केन्द्रीय अंशदान (केवल अनुदान)	राज्यांश	
1	2	3	4	5	6	7	8

भारत सरकार से संभावित प्राप्ति (आय-व्ययक 2015-16 में दर्शित)		आय-व्ययक अनुमान 2015-16 (व्यय)		भारत सरकार से संभावित प्राप्ति के संशोधित अनुमान 2015-16		संशोधित अनुमान 2015-16 (व्यय)		वर्ष 2016-17 में भारत सरकार से प्राप्ति के अनुमान		आय-व्ययक अनुमान 2016-17 (व्यय)	
ऋण	अनुदान	आयोजना के अन्तर्गत कुल प्रावधान	कॉलम 11 मे केन्द्रीय सहायता का अंश (केवल अनुदान)	ऋण	अनुदान	आयोजना के अन्तर्गत कुल प्रावधान	कॉलम 15 में केन्द्रीय सहायता का अंश (केवल अनुदान)	ऋण	अनुदान	आयोजना के अन्तर्गत कुल प्रावधान	कॉलम 19 में केन्द्रीय सहायता का अंश (केवल अनुदान)
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

- बी एफ सी इकाई के नाम एव कोड संख्या की पूर्ति करने पर कॉलम संख्या 1, 2, 11 एवं 12 आई एफ एम एस में स्वत प्रदर्शित होगें। कॉलम संख्या 2 में योजना का चयन करने पर शेष कॉलम पूर्ति हेतु उपलब्ध होंगे इन कॉलमों की पूर्ति विभागीय स्तर पर अपेक्षित है। कॉलम सख्या 8 मे भारत सरकार से राज्य की संचित निधि में गत वर्षो मे प्राप्त राशि का शेष ही प्रदर्शित किया जाना है। कॉलम संख्या 15, 16, 19 व 20 में पस्तावित राशि प्रपत्र सख्या 9 से सृजित होगी।

प्रमाणित किया जाता है कि उपयुक्त सूचना की मेरे द्वारा व्यक्तिगत रूप से जांच कर ली गई है और इसे सही पाया गया है।

विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष

प्रपत्र - 13

शहरी स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं के लिए प्रावधित राशि में जिलेवार प्रस्तावित आवंटन (प्रतिशत) का विवरण वर्ष 2016-17

विभाग का नाम................

(प्रतिशत में)

क्र.सं.	बजट शीर्ष	जिले का नाम	आयोजना भिन्न	आयोजना	राज्य योजना के लिए केन्द्रीय सहायता

नोट: (1) यह प्रपत्र अग्रेषित करने पर सीधा वित्त (आय-व्ययक अनुभाग) विभाग को उपलब्ध होगा।

(2) आयोजना (Plan) के अन्तर्गत प्रविष्टि करते समय राज्य योजना के लिए केन्द्रीय सहायता के लिए प्रावधित राशि को भी सम्मिलित किया जावे तथा सम्मिलित की गई राशि के प्रतिशत को राज्य योजना के लिए केन्द्रीय सहायता के कॉलम में पृथक से भी दर्शित किया जावे।

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त सूचना की मेरे द्वारा व्यक्तिगत रूप से जॉच कर ली गई है और इसे सही पाया गया है।

कार्यालयाध्यक्ष / विभागाध्यक्ष